

(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकारिम (अलवर)
पठारसीन अधिकारी श्री विश्वमित्र मीणा आ०ए०एस०

मु.स.
16/एसीएम/2008

दायरा दिनांक
08.03.2013

निर्णय दिनांक
12/07/2018

अनुवान

1. बाल सिंह पुत्र श्री मांगीराम जाति दरोगा निवासी कादईया तहसील कोटकारिम जिला अलवर राज० (मृतक)
[1/1]. अमरसिंह पुत्र बालसिंह जाति दरोगा निवासी कादईया तहसील कोटकारिम जिला अलवर राज०
[1/2]. भवशी पुत्री बालसिंह
[1/3]. विद्यादेवी पुत्री बालसिंह
[1/4]. उम्मेद बाई पुत्री बालसिंह जाति दरोगा निवासी कादईया तहसील-कोटकारिम जिला-अलवर (राज०)
--वादीगण

बनाम

1. अमीलाल पुत्र प्रभाती जाति अहीर (मृतक)
[1/1]. सत्यवीर पुत्र अमीलाल
[1/2]. राजवीर पुत्र अमीलाल
[1/3]. सुरेश पुत्री अमीलाल
[1/4]. कमलादेवी वेवा अमीलाल
2. देवीसहाय पुत्र प्रभाती जाति अहीर
3. मोहरिया पुत्र सगगर
4. कूडाराम पुत्र सगगर
5. ओमी पुत्र सगगर
6. धर्मपाल
7. तपेश
8. रमेश पुत्रान इन्दर
9. मु० मल्लादेवी वेवा इन्दर जाति चमारान निवासी कादईया तहसील कोटकारिम
10. शाखा प्रबन्धक यूनाईटेड बैंक शाखा खैरथल तहसील किशनगढ़वास जिला अलवर
11. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारी अधिकारी (लैंड होल्डर) तहसीलदार कोटकारिम जिला अलवर (राजस्थान)

--प्रतिवादीगण

दावा तकसमा एवं हुकमईम्तनाईदवाणी

वादीगण ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर एक दाद इस काशय का पेश किया कि आराजी खरारा नम्बर 78 सख्या 15 बिरवा बाके गोजा कादेया तहसील किशनगढ़वास में स्थित है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, एवं

up
उप-खण्ड अधिकारी
कोटकारिम (अलवर)


5 का 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 6 लगायत 9 का 1/4 हिस्सा है। नकल जमाबन्दी सम्बत 2047 संलग्न दावा हाजा है। उक्त आराजी दावा हाजा में विवादित आराजी कहलायेगी। उक्त के वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 सहकार्यकार थे और मुताबिक जमाबन्दी के वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपना-अपना हिस्सा बटा लिया तथा उसी समय मौके पर डोल कायम कर ली गई। जो डोल आज भी मौके पर कायम है। पक्षकारान अपने-अपने हिस्से पर काबिज रह कर काश्त कर रहे हैं। आराजी पर शामलात में कब्जा है मौके पर फसल सरसू की काश्त की हुई है। लगान अदा कर रहे हैं एवं कामजात माल में अमल हो रहा है। आराजी उक्त अवट भूमि है जिसका आज तक मौके पर किसी प्रकार भी बटवारा नहीं हुआ है। बल्कि शामलात में काबिज है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 आये रोज गिन वादी के शामलात शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करते हैं। एवं गिन वादी को फसल बोनो वो दासो करने में रुकावट पैदा करते हैं तथा लगान आदि के भुगतान में आये रोज विवाद पैदा होता है कि जिससे गिन वादी का प्रतिवादीगण के साथ शामलात में काबिज रहकर काश्त करना नामुमकिन हो गया है। और गिन वादी अपने हिस्से की आराजी का खाता जो लगान जरिये तकारामा बाई गिट्स एण्ड वाउण्ड कराना चाहता है। गिन वादी अज खुद प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 से विवादित आराजी का तकारामा कराने हेतु दिनांक 27.02.1995 को कहा तो प्रतिवादीगण साफ तौर से तकारामा कराने से इन्कार हो गये तथा अवट आराजी को विला तकसीम कराने दीगर लोगो की रहन बय से मुत्तकिल करने की धमकी दी एवं वादी को आराजी में काश्त ना करने की धमकी दी एवं वादी की जबरन बेदखल करने की धमकी दी यदि प्रतिवादी अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो वादी को नापूति होने क्षति होगी एवं वादी को वजा मुकदमें वाजी में फसना पड़ेगा। अतः वादी प्रतिवादीगण को जरिये हुकूमईम्तनाईदवाभी से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं दिनांक 27.11.2015 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार कोटकासिम को कुरेजात कायम करने के लिए लिखा गया। तहसीलदार कोटकासिम से कुरेकायमी प्राप्त हुई। जिसपर अधिवक्ताओं ने अपनी सहमति प्रकट की।

वादपत्र एवं संलग्न सदस्तावेजात व संलग्न कुरेकायमी रिपोर्ट का अवलोकन किया अवलोकन से एवं अधिवक्ताओं के कथन से वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद इस कदर फाईनल डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 78/2 रकबा 0-07 बिस्वा 10 बिस्वांसी अमीलाल, देवीसहाय पि0 प्रभाती अहीर सा0 पाटन अहीर हिस्सा 1/2, मांहरिया, फुडा, घेताराम, औमप्रकाश, पुत्रांग व दडकी, शान्ती, ग्यारसी, बत्तो, कृपा, सरोज पुत्रीयान सगर सा0 भा0 कौम चमार साकीन देहखातेदार राहिन कार्मिशियल युनाईटेड बैंक शाखा खैरथल मु0 1/4 हि0 मल्लो वेवाव धर्मचन्द, तपेश, रमेश, सुरेश, मुकेश, हंसराज पुत्रांग व विमला पुत्री इन्दर चमार हिस्सा 1/4 सा0 देह खातेदार रहेगी। इसीप्रकार खसरा नम्बर 78/2 रकबा 0-07 बिस्वा व 10 बिस्वासी बालसिंह पुत्र मांगेराम दरोगा सा0 देह खातेदार रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्या डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/07/2018 को टंकित किया जाकर सारे इजलास सुनाया गया।


 उप बण्ड अधिकारी
 कोटकासिम (अ.प्र.प.प.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

पठासीन अधिकारी श्री विश्वमित्र मीणा आ०ए०एस०

मु.सं.

16/एसीएम/2008

दायरा दिनांक

08.03.2013

निर्णय दिनांक

12.07.2018

अनुवान

1. बाल सिंह पुत्र श्री मांगीराम जाति दरोगा निवासी कादईया तहसील कोटकासिम जिला-अलवर राज० (मृतक)
[1/1]. अमरसिंह पुत्र बालसिंह जाति दरोगा निवासी कादईया तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज०
[1/2]. भंवरी पुत्री बालसिंह
[1/3]. विद्यादेवी पुत्री बालसिंह
[1/4]. उम्मेद बाई पुत्री बालसिंह जाति दरोगा निवासी कादईया तहसील-कोटकासिम जिला-अलवर (राज०)

-वादीगण

बनाम

1. अमीलाल पुत्र प्रभाती जाति अहीर (मृतक)
[1/1]. सत्यवीर पुत्र अमीलाल
[1/2]. राजवीर पुत्र अमीलाल
[1/3]. सुरेश पुत्री अमीलाल
[1/4]. कमलादेवी देवा अमीलाल
2. देवीसहाय पुत्र प्रभाती जाति अहीर
3. मोहरिया पुत्र सग्गर
4. कूडाराम पुत्र सग्गर
5. ओमी पुत्र सग्गर
6. धर्मपाल
7. तपेश
8. रमेश पुत्रान इन्दर
9. मु० मल्लादेवी देवा इन्दर जाति चमारान निवासी कादईया तहसील कोटकासिम
10. शाखा प्रबन्धक यूनाईटेड बैंक शाखा स्थल तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर
11. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर (राजस्थान)

-प्रतिवादीगण


दावा तकारामा एवं हुवमईमतनाईदवागी

OP

(2)

अतः वादीगण का वाद इस कदर फाईनल डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 78/2 रकबा 0-07 विस्वा 10 विस्वांसी अमीलाल, देवीराहाय पि0 प्रमाती अहीर सा0 पाटन अहीर हिस्सा 1/2 , मौहरिया, कुडा, चेताराम, औमप्रकाश, पुत्रान व दडकी, शान्ती, ग्यारसी, बत्तो, कृपा, सरोज पुत्रीयान रागर सा0 मा0 कौम चमार साकीन देहखातेदार सहिन कार्मिशियल युनाईटेड बैंक शाखा खैरथल मु0 1/4 हि0 मल्लो बेवा व धर्मचन्द, तपेश, रमेश, सुरेश, मुकेश ,हंसराज पुत्रान व विमला पुत्री इन्दर चमार हिस्सा 1/4 सा0 देह खातेदार रहेगी। इसीप्रकार खसरा नम्बर 78/2 रकबा 0-07 विस्वा व 10 विस्वांसी बालसिंह पुत्र भांगेराम दरोगा सा0 देह खातेदार रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14/07/2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी
सुप. खण्ड अधिकारी
कोर्टफोरिसिम (अलवर) राज0
फोटोकॉपीम (बलवर)